राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1117/2024

चम्पालाल तुनगरिया **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. उप निदेशक एवं उप शासन सचिव (द्वितीय), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
3. प्रोग्राम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति Sahada, जिला भीलवाडा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.02.2024
आदेश की दिनांक : 26.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री आनन्द शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री आर.के.निगम, अभिभाषक/केविएटर

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अभियंता के पद पर पंचायत समिति सहाडा, जिला भीलवाडा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौडगढ़ किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को

वर्तमान पदस्थापन स्थान पर दिनांक 23.08.2022 को पदस्थापित किया गया और लगभग डेढ वर्ष की अल्पावधि में ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया गया। अपीलार्थी के हृदय की सर्जरी दिनांक 29.03.2022 को अहमदाबाद में चिकित्सालय में हुई, जो अनुलग्नक–4 से प्रकट होता है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से 100 कि.मी. दूर किया गया है। जबकि पंचायत समिति सहाडा में सहायक अभियंता का पद रिक्त भी है, फिर भी बिना प्रशासनिक आवश्यकता के अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया गया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान् अधिवक्ता/केविएटर ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुये मौखिक रूप से यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के संबंध में जारी किये गये स्थानान्तरण आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। किसी भी कार्मिक/अधिकारी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि जनहित में किस कार्मिक की सेवायें किस स्थान पर ली जानी है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सहायक अभियंता के पद पर पंचायत समिति सहाडा, जिला भीलवाडा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौडगढ़ किया गया है। जहां तक अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी का स्थानान्तरण लगभग 2 वर्ष बाद किया गया है और जनहित को ध्यान में रखत हुये प्रशासनिक आधार पर किया गया है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी के हृदय की सर्जरी वर्ष 2022 में हुई है। वर्तमान में अपीलार्थी द्वारा गंभीर उपचार का कोई ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया। जहां तक पारिवारिक/स्वयं की परेशानी का प्रश्न है,

अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

उपरोक्तानुसार अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य